टेंडर फार्म नं.................
दिनांक ....

जारीकर्ता के हस्ताक्षर
....

कार्यालय नगर पालिका परिषद् पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक/3800/राजस्व/न.पा./24 पीथमपुर दिनांक :- 12/06/2024

3800

"म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 के तहत् मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल समपत्ति का अंतरण) नियम–2016 के नियमों के अंतर्गत ऑफलाईन निविदा आमंत्रण सूचना"

नगर पालिका परिषद् पीथमपुर द्वारा नगर पालिका स्वामित्व की पीथमपुर नवीन बस स्टेण्ड सेक्टर.1 आयशर चौराहे के पास स्थित दुकानों की नीलामी सूचना ऑफ लाईन आमंत्रित की जाती है। म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 के तहत् मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम–2016 तथा संशोधन अधिसूचना क्रमांक 08-एफ-01–2016 अठारह –3 भोपाल दिनांक 04 मई 2021 व संशोधन अधिसुचना भोपाल दिनांक 28 मार्च 2023 के नियमों के अनुसार तालिका में वर्णित सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ऑफलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रथम लिफाफा (A) में अर्नेस्ट मनी (सुरक्षा निधि) एफ.डी.आर./डी.डी/नगद जमा की मूल रसीद के रुप में एवं आरक्षित वर्ग का होने पर संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण, मृत्यु प्रमाणपत्र, मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आदि एवं द्वितीय लिफाफा (B) में निविदा दर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। अर्नेस्ट मनी एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र आदि प्रथम लिफाफा (A) में सही–सही पाई जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा (B) खोला जावेगा। प्रत्येक लिफाफे पर निविदाता का नाम तथा जिस दुकान के लिये निविदा आफर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका स्पष्ट अक्षरों में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। दुकान के आरक्षित मूल्य से अधिक राशि के प्रस्ताव/दर प्राप्त होने पर ही स्वीकृति उपरांत अंतरण की कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य हेतु प्रत्येक दुकान हेतु पृथक–पृथक ऑफलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 14/06/2024 समय प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 01/07/2024 समय सांय 6:00 बजे तक राशि रुपये 2000/– नगर पालिका मुख्य कार्यालय की राजस्व शाखा में जमा कर क्रय किये जा सकते है, तथा प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) की राशि पृथक–पृथक दुकान हेतु आरक्षित मूल्य की 2.5 प्रतिशत एफ.डी.आर. के रुप में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका पीथमपुर के नाम से जमा की जावेगी।

दुकान क्र.	दुकान का साईज (मीटर में)	वर्ग आरक्षण की स्थिति	आरक्षित मूल्य	आरक्षित मूल्य पर प्रतिभूति निक्षेप राशि का 2.5 प्रतिशत
1	3.10M X 4.40M	आरक्षित (विधवा हेतु)	5,97,868	14,947
16	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
17	3.10M X 4.40M	आरक्षित (अजजा)	5,43,516	13,588
18	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
19	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
20	3.10M X 4.40M	आरक्षित (अजा)	5,43,516	13,588
21	3.10M X 4.40M	आरक्षित (अ.पि.वर्ग)	5,97,868	14,947
22	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,97,868	14,947
23	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
24	3.10M X 4.40M	आरक्षित (अजा) महिला	5,43,516	13,588
25	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
26	3.10M X 4.40M	आरक्षित (विकलांग हेतु) दृष्टिहीन व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।	5,43,516	13,588
27	3.10M X 4.40M	आरक्षित (अजजा)	5,43,516	13,588

28	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
29	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
30	3.10M X 4.40M	आरक्षित (अजजा)	5,43,516	13,588
31	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
32	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
33	3.10M X 4.40M	आरक्षित (अजजा) महिला	5,43,516	13,588
34	3.10M X 4.40M	आरक्षित (अ.पि.वर्ग)	5,43,516	13,588
35	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
36	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
37	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
38	3.10M X 4.40M	आरक्षित (अजा)	5,43,516	13,588
39	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
40	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
41	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,43,516	13,588
42	3.10M X 4.40M	अनारक्षित	5,97,868	14,947

01 दुकान आवंटन हेतु नियम एवं शर्ते कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर नगर पालिका की राजस्व शाखा में देखी जा सकती है।

02 कार्यालयीन कार्य की आवश्यकता अनुसार लिफाफा "ए" एवं "बी" खोलने का दिनांक व समय आगे बढ़ाने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

समय सारणी :–

01	निविदा प्रपत्र क्रय करने प्रारंभ दिनांक	:– **14/06/2024**	(प्रातः 11:00 बजे से)
02	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक	:– **01/07/2024**	(शाम 6:00 बजे तक)
03	निविदा की हार्डकापी जमा करने की अंतिम दिनांक	:– **02/07/2024**	(शाम 6:00 बजे तक)
04	लिफाफा "ए" खोलने की दिनांक	:– **03/07/2024**	(प्रातः 11:00 बजे से)
05	लिफाफा "बी" खोलने की दिनांक	:– **04/07/2024**	(प्रातः 11:00 बजे से)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पीथमपुर

(श्री सुनिल वर्मा)
राजस्व प्रभारी
नगर पालिका पीथमपुर

(श्री पप्पु असोलिया)
उपाध्यक्ष
नगर पालिका पीथमपुर

(श्रीमती सेवन्ती सुरेश पटेल)
अध्यक्ष
नगर पालिका पीथमपुर

पृ. क्रमांक/3799/राजस्व/न.पा./24

पीथमपुर, दिनांक :–12/06/2024

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर कार्यालय धार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धार के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3. कार्यालय तहसीलदार पीथमपुर/धार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. नगर पालिका परिषद पीथमपुर जिला धार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पीथमपुर
जिला धार (म.प्र.)

2

टेंडर फार्म नं................
दिनांक ....

जारीकर्ता के हस्ताक्षर
....

कार्यालय नगर पालिका परिषद,पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक/3797/न.पा./राजस्व/24

पीथमपुर,दिनांक :–12/06/2024

।। शर्तनामा ।।

प्रारूप–एक

(नियम 8 देखिए)

नगर पालिका परिषद् पीथमपुर द्वारा निकाय स्वामित्व की पीथमपुर नवीन बस स्टेण्ड स्थित दुकानों का आंवटन म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 के तहत तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 2016 तथा संशोधन अधिसूचना क्रमांक 08-एफ-01-2016 अठारह –3 भोपाल दिनांक 04 मई 2021 व संशोधन अधिसुचना भोपाल दिनांक 28 मार्च 2023 के प्रावधानों अनुसार द्वि–लिफाफा पद्धति से ऑफलाईन निविदा आमंत्रित करने के लिये जारी दिशा निर्देशों के अधीन विहित प्रक्रिया अनुसार आमंत्रित की जाएगी। प्रथम लिफाफे (A) में अर्नेस्टमनी (सुरक्षा निधि) एफ.डी.आर./डी.डी./नगद जमा की मूल रसीद के रुप में तथा आरक्षित वर्ग के होने की स्थिति में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि एवं द्वितीय लिफाफे (B) में निविदा दर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। अर्नेस्टमनी एवं आरक्षित वर्ग की दुकान होने पर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। अर्नेस्टमनी (सुरक्षा निधि) तथा अन्य दस्तावेज प्रथम लिफाफे (A) में सही पाए जाने पर ही निविदा दर का द्वितीय लिफाफा (B) खोला जावेगा। दुकान के कुल मूल्य से अधिक राशि के प्रस्ताव/दर प्राप्त होने पर ही सक्षम स्वीकृति उपरांत अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।

1- उपरोक्त सम्पत्ति को पट्टाधारी को प्रारंभिक रूप से 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर प्रदान किया जावेगा।

2- उपरोक्त सम्पत्ति का नवीनीकरण नगर पालिका की सहमति होने पर आगामी 10–10 वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा, नवीनीकरण प्रभार तत्समय प्रभावशील प्रभार के अनुसार देय होगें।

3- नगर पालिका परिषद् पीथमपुर द्वारा द्वारा पट्टे पर दी गई दुकान को वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने हेतु पट्टाधारी को प्रारुप – दो के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

4- पट्टे की विहित काल अवधि के अवसान होने के पश्चात् उसी प्रयोजन हेतु जिसके लिए सम्पत्ति मूल रूप से पट्टे पर आंतरित की गई थी, आगामी 30 वर्षो के लिए पट्टे के नवीनीकरण की शक्ति अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 तथा संशोधन नियम 4 मई 2021 के नियम 5 (क) में यथा विहित सक्षम प्रधिकारी में विहित होगी |
परंतु प्रीमियम का निर्धारण वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग होने की स्थिति में प्रचलित बाजार मूल्य का एक प्रतिशत होगा एवं पट्टा किराए की दर का निर्धारण मूल पट्टा विलेख के किराए की दर का न्यूनतम चार गुना अथवा प्रचलित बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो किया जावेगा|

5- पट्टे के नवीनीकरण के लिये आवेदन पट्टे की कालावधि के अवसान होने के अंतिम वर्ष में किंतु अवसान तारीख से चार माह पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा। पट्टा अवसान की तारीख से चार माह के पूर्व के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर प्रचलित बाजार मूल्य का 0.01 प्रतिशत विलंब शुल्क प्रतिमाह की दर से आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तक विलंब फीस देय होगी।

6- यदि पट्टाधारियो द्वारा देय पट्टा किराया या अन्य देय विहित समय अवधि में जमा नही किए जाते है, तब ऐसी बकाया राशि पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जुर्माना उदग्रहीत किया जाएगा, तथा नवीनीकरण पट्टे की शर्त के उल्लंघन के करण पुन: प्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुए न्यूनतम रूपये 10,000/– अर्थदण्ड वसूल करने के पश्चात् किया जा सकेगा।

7- पट्टे में दी गई समयावधि के भीतर बिना समुचित अनुमति प्राप्त किए, दान अथवा विक्रय के माध्यम से भूखण्ड अंतरित किए जाने की दशा में पुन: प्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुए उपरोक्त नियम के खण्ड (ग) के अधीन निर्धारित राशि वसूल कर पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा |

8- उस दशा में जहाँ पट्टे का शर्तो के उल्लंघन का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् शर्तो के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों बंद कर दी गई है, तथा पट्टे की शर्तो अनुसार गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी जाती है, वहाँ पट्टे के नवीनीकरण न्यूनतम रूपये 10,000/– की शास्ति वसूल करने के पश्चात् किया जा सकेगा|

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पीथमपुर

सम्पत्ति के संरचनात्मक भागों को किसी भाग में कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नही होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो तथा वह इसे उसी स्थिति में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया हो।

10- यदि सम्पत्ति को प्राकृति आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को पट्टाधारी को ही वहन करना होगा। इसके लिए नगर पालिका किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगी।

11- सम्पत्ति के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत पर होने वाला व्यय पट्टाधारी द्वारा वहन किया जावेगा, जिसकी पूर्व स्वीकृति नगर पालिका अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

12- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आवंटितो को सुनवाई का अवसर देने के बाद लोकहित में उक्त सम्पत्ति का अंतरण निरस्त कर सकेगा और व्यवस्थापन वैकल्पिक स्थल पर कर सकेगा।

13- मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।

14- पट्टाधारी को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थो या किन्ही अन्य पदार्थो जैसे – शराब, सट्टा, भांग, गोटा, मांस, मछली के संग्रहण की अनुमति नही होगी, जो उसकी सम्पत्ति तथा आस–पास की सम्पत्तियों के लिए असुरक्षित हो।

15- पट्टाधारी किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नही करेगा, जो विधि अनुसार अनुज्ञेय नही है और आस–पास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।

16- सम्पत्ति का पट्टाधारी अतिरिक्त अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न नही करेगा।

17- पट्टाधारी को विद्युत संयोजन नियमानुसार प्राप्त करना होगा एवं जिसमे होने वाला समस्त व्यय भी पट्टाधारी को वहन करना होगा।

18- पट्टाधारी द्वारा इन नियमों और उसके अधीन बनाये उपबंधो और अनुबंध की शर्तो के पालन में चूक करने की दशा में सम्पत्ति का अंतरण निरस्त किया जा सकेगा।

19- केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारो आदि का भुगतान पट्टाधारी द्वारा किया जावेगा।

20- दुकानों के आवंटन हेतु बंद लिफाफे मे 02 लिफाफा पद्धति पर ऑफलाईन आमंत्रित की गई है, जिसमे प्रथम लिफाफे **(A)** में अर्नेस्टमनी (सुरक्षा निधि) एफ.डी.आर./डी.डी./नगद जमा की मूल रसीद के रुप में तथा आरक्षित वर्ग की दुकान होने की स्थिति मे संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करना होगा। एवं द्वितीय लिफाफे **(B)** मे निविदा दर निर्धारित प्रपत्र में पूर्णताकर प्रस्तुत करना होगा। अर्नेस्टमनी एवं आरक्षित वर्ग की दुकान होने पर जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र लिफाफा **(A)** में सही पाये जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा **(B)** खोला जावेगा।

21- पट्टाधारी को उक्त दुकान में उपकिरायेदार रखने का अधिकार नही होगा।

22- कॉर्नर की दुकानों अथवा मेन रोड़ फेसिंग दुकानों का मूल्यांकन निर्धारित राशि से 10 प्रतिशत अधिक जोड़ कर किया जावेगा

23- उच्चतम निविदादाता द्वारा ऑफलाईन निविदा में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात स्वीकृति उपरांत विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 21 दिवस के भीतर जमा करना होगी एवं शेष राशि जिसमें प्रतिभूति निक्षेप राशि को सम्मिलित किया जा सकता है, निविदा दर के अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिवस के अंदर शेष राशि जमा की जावेगी। यदि बोलीकर्ता द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि के अंदर शेष राशि का भुगतान नही किया जाता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी को यह अधिकार होगा की वह विक्रय या पट्टे को अनुपर्युक्त घोषित कर देगा तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

24- निविदा निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के पश्चात उच्चतम निविदादाता की प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर शेष सभी निविदादाता की प्रतिभूति निक्षेप निविदा दरों पर विचार उपरांत वापस कर दी जाएगी।

25- निविदा के प्रस्ताव को अमान्य किये जाने पर अग्रिम जमा राशि व अन्य जमा राशि, निविदा प्रस्ताव को अविधिमान्य घोषित किए जाने के 90 दिनों के भीतर वापस की जाएगी किंतु कोई ब्याज देय नही होगा।

26- आरक्षित श्रेणी की दुकान का आवंटन करने हेतु आरक्षित प्रवर्ग के बीच निविदा आमंत्रित कर की जावेगी।

27- आरक्षित प्रवर्ग की दुकान उसी संवर्ग को अंतरित की जा सकेगी। नामांतरण की कार्यवाही म.प्र.नगरपालिका (अचल सम्पत्ति अंतरण) नियम 2016 तथा यथासंशोधित नियम के प्रवधानो अनुसार की जायेगी। आरक्षित प्रवर्ग के संपरिवर्तन की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

28- आरक्षित श्रेणी की दुकानों का तीन बार सार्वजनिक सूचना द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने पर भी कोई निविदा प्राप्त नही होने पर, उक्त सम्पत्ति को नियम–5 में दिये गये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके अनारक्षित वर्ग को निविदा द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित कर आवंटिता की जा सकेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पीथमपुर

29- पट्टेधारी की मृत्यु होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा नामांतरण का आवेदन दिये जाने पर नामांतरण शुल्क राशि रुपये 5000/– जमा करने पर नामांतरण किया जा सकेगा। दुकान के अंतरण की स्थिति में पट्टे के अंतरण की दर से नामांतरण प्रभारो की परिगणना की जाएगी। सम्पत्ति के मूल्य की गणना कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार की जाएगी।

30- दुकान के प्रत्येक अंतरण के अनुबंध का पंजीयन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908(1908 का 16) के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा तथा पंजीयन हेतु पट्टाधारी को स्वयं अपने खर्च पर पंजीयन कराना होगा तथा दुकान का आधिपत्य पंजीयन के पश्चात ही दिया जावेगा।

31- दुकान की छत पर पटटेधारी का कोई अधिपत्य नही रहेगा, छत पर निकाय का अधिपत्य रहेगा, भविष्य में अपना निर्माण कर सकती है।

32- निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। किसी भी दिवालिया अवयस्क, मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

33- किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी का निर्णय अंतिम रहेगा।

34- किसी भी दुकान की निविदा दर समान होने पर उसका निर्णय लॉटरी द्वारा किया जावेगा, अंतिम निर्णय मुख्य नगर पालिका अधिकारी का ही होगा जो संबंधित को मान्य करना होगा।

35- विकलांग प्रवर्ग हेतु आरक्षित दुकान में भाग लेने हेतु संबंधित निविदादाता को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (40% से अधिक विकलांगता) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

36- प्रतिभूति राशि जमा कराते समय संबंधित को पहचान पत्र हेतु (वोटर आई.डी/राशनकार्ड/आधारकार्ड/पेन कार्ड) जमा करना आवश्यक हैं।

37- उपरोक्त बिन्दुओं पर म.प्र.न.पा. (अचल सम्पत्ति अंतरण नियम) 2016 म.प्र.राजपत्र क्र.92 दिनांक 24.02.2016 तथा यथासंशोधित नियम में दिये गये निर्देशो, आदेशो तथा अन्य बिन्दुओं का पटटाधारी को पालन करना आवश्यक होगा।

38- दुकान का किराया राशि प्रत्येक 05 वर्षो में 15 प्रतिशत के मान से वृद्धि देय होगी।

39- प्रत्येक माह के प्रांरभ होने की दिनांक से उस माह की 10 तारीख तक उक्त दुकानों का किराया अग्रिम देय होगा। अन्यथा की स्थिति 1.25 % प्रतिमाह की दर से पेनल्टी देय होगी।

40- दुकानों का वार्षिक किराया ई–निविदा में प्राप्त प्रीमियम राशि के मूल्य का 2 प्रतिशत होगा तथा जी.एस.टी. शासन नियमानुसार पृथक से देय होगा।

41- निविदाकार को 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र पर प्रमाणीकरण नोटरी कराकर प्रस्तुत करना होगा। प्रारुप संलग्न है। (परिशिष्ट–1) लिफाफा "ए" में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

42- निविदाकार को लिफाफा ए– में प्रतिभूति राशि अथवा अर्नेस्ट मंनी की नगद जमा की मूल रसीद अथवा एफ.डी.आर. अथवा डी.डी. की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगी। साथ ही आधार कार्ड, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की छायांप्रति स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगी।

43- निविदाकार को लिफाफा बी– में दुकान नीलामी की दर अंको एवं शब्दों में निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत करना होगी। प्रारुप संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

44- दुकान आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें कार्यालयीन समय में नगर पालिका की राजस्व शाखा में देखी जा सकती है।

45- यदि अर्नेस्ट मनी निविदाकार द्वारा नगद जमा की जाती है तो उसकी मूल रसीद भी लिफाफे "ए" में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छायांप्रति मान्य नही होगी।

46- म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 के तहत् बने म.प्र. नगर पालिका (अचल संपति का अंतरण) नियम 2016 तथा संशोधन अधिसूचना क्र. 09–एफ–01–2016 अठारह–3 भोपाल दिनांक 04 मई 2021 के प्रावधानों अनुसार नियम उपरोक्त निविदा एवं अनुबंध का भाग माना जावेगा।

47- निविदाकार को लिफाफा "ए" एवं "बी" को एक बड़े लिफाफा "सी" में रखकर प्रस्तुत करना होगा।

48- निविदाकार को प्रत्येक लिफाफे के ऊपर निविदाकार का नाम, पता, संपति अथवा दुकान का क्रमांक स्पष्ट अंकित होना आवश्यक है।

49- नगर पालिका पीथमपुर के बकायादार बोली की प्रकिृया में बिना NOC के भाग नही ले सकेंगे।

	Ronand	(श्री सुनिल वर्मा)	
सहा.राजस्व निरीक्षक नगर पालिका पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)	उप.राजस्व निरीक्षक नगर पालिका पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)	राजस्व प्रभारी नगर पालिका पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परीषद् पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)

3